पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक विविध संख्या- 18740

थाना कांड संख्या- वर्ष-0, थाना-, जिला- पुर्वी चम्पारन से उत्पन्न

==========

शेख अनवारूल @अनवारूल हक, पुत्र- स्वर्गीय शेख यासीन, निवासी- ग्राम- शेख टोली लौखान, थाना- घोरासाहन, जिला- पूर्वी चंपारण

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. शेख हाशिम ,पुत्र- स्वर्गीय किताब, निवासी- गाँव- शेख टोली लौखान, थाना-घोरासाहन, जिला- पूर्वी चंपारण।
3. शब्बीर शेख, पुत्र- शेख हाशिम- निवासी- ग्राम- शेख टोली लौखान, थाना- घोरासाहन, जिला- पूर्वी चंपारण ।

... ... विपक्षी/ गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता।
राज्य के लिए	:	श्री आदित्य नारायण सिंह-1, ए.पी.पी.
विपरीत पक्षो के लिए	:	श्री अमरेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

==========

*दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**—धारा **145**—समीक्षा न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया और विवादित भूमि के अधिकार का निर्णय प्रतिकूल पक्षों के पक्ष में दिया—कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को उनके लिखित बयान दाखिल करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कोड की धारा **145** के तहत प्रावधानों के अनुसार, विवादित भूमि/संपत्ति पर पक्षों के कब्जे का प्रश्न एक विशेष तारीख पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा केवल शांति के उल्लंघन की आशंका के मामले में निर्णय लिया जाना था, लेकिन उसकी अधिकारिता में पुनरीक्षणीय कोर्ट ने धारा **397(2)** के प्रावधान की अनदेखी करते हुए गलत हस्तक्षेप*

किया और विवादित भूमि पर पक्षों के कब्जे के बारे में एक निष्कर्षात्मक निर्णय दिया जो पुनरीक्षणीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बिल्कुल परे था—नियमित आदेश में अवैधता—नियमित आदेश निरस्त—याचिका स्वीकृत दिशा के साथ।

(पैराग्राफ 6 और 7)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

8 27-02-2025 याचिकाकर्ता, के विद्वान अधिवक्ता - श्री मनोज कुमार, राज्य के लिए विद्वान एपीपी, श्री आदित्य नारायण सिंह-1 और श्री अमरेश कुमार सिन्हा, और विरोधी पक्ष संख्या -2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में संहिता) के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक 06.10.2018. को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 287 / 2017 में पारित आदेश को चुनौती दी गई जिसके द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत अनु०दण्डा०., सिकरहाना द्वारा दिनांक-07.09.2017 को पारित आदेश रद्द कर दिया गया है ।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश पर अभ्याक्रमण हेतु लिए गए मुख्य आधार यह हैं कि कार्यकारी दण्डाधिकारी ने केवल यह पाया कि दोनों पक्षों के बीच एक वास्तविक भूमि विवाद था जिसके लिए एक विस्तृत जांच की आवश्यकता थी और तदनुसार, उस आदेश द्वारा दोनों पक्षों को केवल उपस्थित होने और अपना लिखित बयान दायर करने और साक्ष्य देने का निर्देश दिया गया था, इसलिए, उक्त आदेश पूरी तरह से अंतर्वर्ती प्रकृति का था, इसलिए संहिता की धारा

397 (2) के तहत प्रावधान के अनुसार, उस आदेश के खिलाफ विरोधी पक्ष द्वारा पसंद किया गया पुनरीक्षण चलने योग्य नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 07.09.2017. के आदेश की वैधता और औचित्य का निर्णय करते समय विद्वत पुनरीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित भूमि पर विरोधी पक्षों के कब्जे की घोषणा की और दोनों पक्षों के खिलाफ संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को हटा दिया जो पुनरीक्षण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी।

4. दूसरी ओर, विरोधी पक्षों संख्या 2 और 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से सही है क्योंकि आक्षेपित भूमि पर विरोधी पक्षों के कब्जे की घोषणा करते समय, पुनरीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के प्रवेश सहित, आक्षेपित भूमि पर पक्षों का कब्जा और यह भी ध्यान में रखा कि आक्षेपित भूमि पर एक आवासीय घर स्थित था, इन प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा, जिसके कारण संबंधित कार्यकारी दण्डाधिकारी को संहिता की धारा 145 के तहत पक्षों के बीच कब्जे के मुद्दे पर निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं थी, और इसलिए, आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों के खिलाफ संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सही ढंग से हटा दिया, और इसमें कोई अवैधता नहीं है।

5. दोनों पक्षों को सुना और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया।

6. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार में सार पाता है क्योंकि दिनांक 07.09.2017. का आदेश पूरी तरह से अंतर्वर्ती प्रकृति का है जिसके द्वारा विद्वान कार्यकारी दण्डाधिकारी ने केवल दोनों पक्षों को अपना लिखित बयान दायर करने और साक्ष्य देने का निर्देश दिया और संहिता की धारा 145 के प्रावधानों के अनुसार, आक्षेपित भूमि/संपत्ति पर पक्षों के कब्जे के सवाल का फैसला उक्त कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा केवल शांति भंग होने की

आशंका से संबंधित मामले में किया जाना था, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में पुनरीक्षण न्यायालय ने संहिता की धारा 397 (2) के प्रावधान की अनदेखी करते हुए गलत तरीके से हस्तक्षेप किया और आक्षेपित भूमि पर पक्षकार के कब्जे के संबंध में एक निर्णायक निष्कर्ष दिया जो पूरी तरह से पुनरीक्षण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपनाए गए उक्त दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस याचिका में योग्यता पाता है और आक्षेपित आदेश में अवैधता पाता है और इसलिए, आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है।

7. यदि आक्षेपित भूमि के कारण वर्तमान समय में शांति भंग होने की आशंका है तो कार्यकारी दण्डाधिकारी के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को फिर से शुरू करना खुला रहेगा और इस संबंध में कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है और यदि वह उक्त कार्यवाही फिर से शुरू करता है तो दोनों पक्षों को अपना लिखित बयान और साक्ष्य देने का समान अधिकार होगा।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।